न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 01 सन 2024

अनवान :–

1. रमेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्रहमण निवासी गांव ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भादर स्वामी जाति स्वामी निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. घनश्याम पुत्र श्री रामश्वर लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. नन्दकिशोर पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. गजानन्द पुत्र श्री रामेश्वरलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. पटवारी राजस्व ग्राम ढण्ढेला तहसील नोहर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री महेश राठोड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की ढन्ढेला के खसरा संख्या 265 पुराने खसरा नम्बर 145/2 में आबादी भूमि में अवस्थित थी । गाँव ढन्देला में बीकानेर रियासतकाल में आबादी के नक्शा वर्ष 1944–45 में आबादी भूमि की उत्तरी सीमा एक सीधी लाइन अनुसार बनी हुई थी। गाँव ढन्ढेला के सन 1944–45 में बने नक्शा की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है । वर्ष 1965 में गाँव ढन्ढेला का नया नक्शा राजस्व विभाग ने तैयार किया। इस नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि भू– अभिलेख शाखा हनुमानगढ़ से प्राप्त नक्शा में भी गाँव ढन्ढेला की आबादी भूमि की उत्तरी सीमा लगभग एक सीधी लाइन में ही दर्शाई गई है।

भौतिक रूप से गाँव ढन्ढेला के उत्तर दिशा की स्थाई आबादी लाइन – प्रताप कुम्हार के घर– आर्युवेद हस्पताल के पास से लेकर नौरंग स्वामी के घर के दक्षिण से होते हुए – आटा चक्की के पास स्थित आम रास्ता पर है अर्थात उक्त आम रास्ता गाँव की पुरानी आबादी लाइन पर स्थित है एवं गाँव की पुरानी आबादी के खसरा को उत्तर दिशा में स्थित खसरो एवं जोहड़ आदि (खसरा संख्या 171,172,173, 174) के खसरो को विशिष्ट पहचान कायम करती है एवं पृथक सीमांकन करती है। उक्त खसरा 172 (क्षेत्रफल चार बीघा–जोहड़), खसरा 173 (सवा छ बीघा – सामलात) एवं खसरा संख्या 174 (क्षेत्रफल ढाई बीघा–जोहड़) के उत्तर दिशा में पत्थर गढ़ी लाइन 388 और खसरा संख्या 172 के मध्य में प्रार्थीगण के पुराने घर स्थित है। जहां पर प्रार्थीगण पीढियों से निवास [illegible] ग्राम पंचायत ढन्देला द्वारा स्थायी पट्टे जारी किये हुए है एवं विद्यु[illegible] प्रार्थीगण गाँव ढन्ढेला की आबादी भूमि (खसरा संख्या 145/2[illegible]5) के उत्तरी दिशा [illegible] संख्या 266 (नया खसरा संख्या 170), 267 (नया खसरा संख[illegible]171,268 (नया खसर[illegible] 172), 269 (नया खसरा संख्या 174) स्थित है। जिनमे आबादी के उपयोगार्थ खसरा संख्या 172 (चार बीघा) में प्राचीन जोहड़ और जिसके चारों और 7–8 प्राचीन कूएँ बने हुए है एवं 174 (ढाई बीघा) में प्राचीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जोहड़ स्थित है. अब भी है। गाँव ढन्देला में बने स्थायी जोहड़, कूरों, पुराने भवन रियासत काल से ही स्थायी एवं अचल निर्माण एवं संरचानाये है जिनका भोतिक रूप से स्थान परिवर्तन होना या करना असम्भव है। दिनांक 08—10—2009 को गाँव ढन्देला की आबादी भूमि की तरमीम की गई तथा इस तरमीम में तात्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिविरुद्ध, जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज कर दिए गए। वर्ष 2007—2008 तक राजस्व पटवारी ग्राम ढन्देला में पहले से मौजूद राजस्व नक्शा को गायब कर दिया गया । नक्शा तरमीम बाबत राजस्व विभाग द्वारा विधिवत आदेश जारी नहीं किये गए थे। मौके पर राजस्व पटवारी एवं राजस्व अधिकारी, द्वारा भौतिक रूप से गाँव ढन्ढेला के प्रभावित निवासियों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया बल्कि सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध एवं मन माने तरीके से सम्पन्न करने, राजस्व रिकोर्ड में गाँव ढन्डेला की आबादी भूमि को राजकीय राजस्व नक्शा में उत्तर दिशा में करीब 1—1 बीघा क्षेत्र बढ़ा कर अधिक कर दिया गया जबकि अन्य दिशाओं की सीमाएं यथावत रखी गयी । अर्थात गाँव ढन्देला की मूल आबादी लाइन को उत्तर की तरफ करीब 1—1 बीघा खिसका दिया गया तथा साथ में ही नक्शा में खसरा संख्या 172—174 को भी उत्तर दिशा में खिसका दिया गया, जिससे प्रार्थीगण जिनके पुराने रिहायशी मकान पत्थर गढ़ी लाइन 388 के समीप ही थे, को जबरन पुराने नक्शा के 268 (नया खसरा संख्या 172) में स्थित प्राचीन जोहड़ एवं कुओं की भूमि पर होना बताया जा रहा है। जो की सरासर गलत है। जबकि वास्तविकता में प्रार्थीगण के पुराने भवन एवं जोहड़—कुओं के मध्य विधिवत काफी फासला है, अलग अलग एवं स्पष्ट है। अप्रार्थीगण को कतई आधिकार नहीं है की वो बगैर सरकार के विधिवत एवं स्पष्ट आदेश एवं प्रभावित स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए राजकीय नक्शा में त्रुटी युक्त पैमाईश, तरमीम करे, जबरन गलत तथ्यों का इन्द्राज करे एवं रियासतकाल एवं राजस्व रिकोर्ड के आरम्भिक प्रमाणित नक्शा (जो की वर्ष 2007—08 तक चला आ रहा था) अनुसार मूल आबादी लाइन एवं लैंड मार्क एवं अवस्थितियों को परिवर्तीत करे । प्रार्थीगण गाँव ढन्ढेला की आबादी भूमि के तरमीम शुदा नक्शा में खसरा संख्या 265, नया खसरा संख्या 172—174 को गलत दर्शाए जाने एवं उसे वर्ष 1944—45, 1965 एवं वर्ष 2007—08 तक प्रयुक्त किये जाने वाले नक्शा के आधार पर दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की विधि सम्मत मांग को नहीं मान रहे है बल्कि गाँव ढन्ढेला की ड्रोन सर्वेक्षण एवं किलाबंदी भी करवा रहे है। 'जिससे अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2009 में तरमीम किया गया नक्शा—स्थायी हो जाए एवं प्रार्थीगण एवं अन्य नागरिको को हानि हो। बल्कि अप्रार्थीगण मिथ्या रूप से प्रार्थीगण को उनके पूर्वजो के समय से बने रिहायशी मकान, को जोहड़ पायतन एवं कुओं की भूमि में होना बताकर बेदखल करना चाहते है। र्तमान में अप्रार्थीगण तरमीम शुदा नक्शा के आधार पर ड्रोन सर्वे होने से प्रार्थीगण के रिहायशी मकान गलत रूप से जोहड़ पायतन एवं कुओं की भूमि में दर्शाए जा रहे है। इन परिस्थितियों में आबादी भूमि गाँव ढन्ढेला का राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2009 से पुर्व में तैयार [illegible] ग[illegible] नक्शा के आधार पर सीमांकन किया जाकर विवाद का निपटारा किया [illegible] गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया की वो बीकानेर रियासत क[illegible] के आबादी एवं वर्ष 2009 से पूर्व वर्ष यथा 1944—45, 1965 आदि में बने गाँव ढन्ढेला के राजस्व नक्शा के अनुसार आबादी भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सीमाकन एवं खसरा संख्या 265, 172–174 की सीमांकन की त्रुटी सुधार किया हुआ नक्शा जारी करे तो वे इनकार हो गए।

अतः प्रार्थन पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की आबादी भूमि गाँव ढन्ढेला का बीकानेर रियासतकालीन नक्शा वर्ष 1944–45, एवं राजस्व रिकोर्ड वर्ष 1965 के नक्शा के आधार पर नक्शा का सीमांकन (क्मउंतबंजपवद) करवाया जाकर, ग्राम ढन्देला के राजस्व नक्शा वर्ष 2009 के नक्शा को निरस्त फरमाए एवं त्रुटी दुरुस्त करते हुए सही नक्शा जारी किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है तथा मौके पर उक्त भूमि पर सघन आबादी बसी हुई है तथ भू स्वामित्व योजना में उक्त भूमि का सीमाज्ञान ग्राम पंचायत को करवा दिया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि गै0मु0 दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा बीकानेर रियासत काल के आबादी एवं वर्ष 2009 से पूर्व वर्ष यथा 1944–45, 1965 आदि में बने गाँव ढन्ढेला के राजस्व नक्शा के अनुसार आबादी भूमि का सीमाकन एवं खसरा संख्या 265, 172–174 की सीमांकन की त्रुटी सुधार हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया गया है जबकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 111–128 के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि की ही पत्थरगढ़ी की जाती है जबकि पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि पर सघन आबादी बसी हुई है इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/2/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested